न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वार केम्प नयानगर

पीठासीन अधिकारी : – श्री प्रवीण कुमार (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

दायर तारीख 11.03.2015

वादपत्र संख्या :–11/2015

अनवान

1. बाबुलाल पिता रामनाथ जाति भील उम्र वयस्क पैशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ....वादी

बनाम

1. गोपाललाल पिता कंवरा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी मीणो का नयागांव नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां जिला भीलवाड़ा ।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री जगदीशचन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांक :– 05.06.2017**

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फतहनगर पटवार हल्का नयानगर की आराजी 411 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वां लगानी 1–56 का दर्ज रेकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किया जावें।

प्रकरण बाद विधिवत सुनवाई दिनांक 11.03.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर ग्राम फतहनगर में स्थित आराजी 411 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा का दर्ज रेकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन किये गये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार बिजौलियां को मौके पर विभाजन कर विभाजन पत्रादि मय अक्स मौका पर्चा, ट्रेस प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत की गयी। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 व 2 की भूमि खरीदना बताकर पक्षकार बनाने का आदेश किया गया। तथा प्राथमिक डिक्री के बटवाया प्रस्ताव पुनः पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करने का आदेश दिया गया।

5/6/06/17

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) दि0प्र0स0 प्रस्तुत किया गया जो शमिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र की एक प्रति वादी अधिवक्ता दिलायी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किए गये।

राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वारा कैम्प नयानगर मे दिनांक 05.06.2017 को पेश होने हेतु समन नोटिस भिजवाये गये। पत्रावली में बटवाडा प्रस्ताव पेश है। बटवाडा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र0 सं0	नाम ग्राम	खातेदार का नाम	आराजी नं0	रकबा	लगान
01	फतहनगर	बाबुलाल पिता रामनाथ जाति भील निवासी बेरीसाल	411/1	2–12	0–78
	योग		**01**	**2–12**	**0–78**
02	फतहनगर	गोपाल लाल पिता कंवरा जाति मीणा सा0 मीणो का नयागांव नयानगर	411/2	2–12	0–78
	योग		**01**	**2–12**	**0–78**

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नाकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम पर राजस्व अभिलेखो में पृथक – पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे। नियमानुसार नोन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री पर्चा बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत/न्याय आपके द्वारा केम्प नयानगर में सुनाया गया।

05/06/17

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाडा